झारखंड उच्च न्यायालय
रांची
अपराधिक् विविध याचिका
3847/2023

मोद्देशर उर्फ मोद्देशर अकबर उम्र लगभग **38** वर्ष पुत्र स्वर्गीय अली अकबर निवासी ग्राम बादाम, पो. बादाम, पी.एस. बड़कागांव, जिला-हजारीबाग.....याचिकाकर्ता

बनाम

1.झारखण्ड राज्य

2.राजू सिंह पुत्र स्वर्गीय लाली सिंह निवासी ग्राम-जोरो काठ, डाकघर.+ थाना-बड़का गाँव, जिला-हजारीबाग.....विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: : श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्रीमान. मनोज क्र. मिश्रा, अतिरिक्त. पी.पी.
ओपी नंबर **2** के लिए : श्री श्रीनिवास रॉय, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्रीमान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए बड़कागांव थाना की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह **2018** का केस नंबर **21** जी.आर. से संबंधित है। यह **2018** की संख्या **546** भारतीय दंड संहिता की धारा **341, 342, 323, 34** के साथ- साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, **1989** की धारा **10 (3)** के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है। उक्त मामला अब विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/ एसटी अधिनियम), हजारीबाग की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और सूचक/ विपरीत पक्ष संख्या **2** के विद्वान वकील संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान **2023** के अन्तर्वर्ती आवेदन संख्या **11505** की ओर आकर्षित करते हैं, जो याचिकाकर्ता के पैरवीकार और फॉर्मेट/ विपरीत पक्ष नंबर **2** के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित है, में यह उल्लेख किया गया है कि पार्टियों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता कर लिया है । याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पार्टियों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम और धूमिल है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि बड़कागांव थाना की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही **2018** का केस

नंबर **21** जी.आर. से संबंधित है। अत: यह प्रस्तुत किया जाता है कि **2018** की संख्या **546** भारतीय दंड संहिता की धारा **341, 342, 323, 34** के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** की धारा **10 (3)** के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है। अब विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), हज़ारीबाग़ की अदालत में लंबित मामले को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

4. विद्वान अतिरिक्त सरकारी वकील द्वारा राज्य की ओर से उपस्थित होकर इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है कि पार्टियों के बीच समझौता को लेकर बड़कागांव थाने की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। **2018** का केस नंबर **21** जी.आर. से संबंधित है। **2018** की संख्या **546** भारतीय दंड संहिता की धारा **341, 342, 323, 34** के साथ- साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** की धारा **10 (3)** के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है। अब यह मामला विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), हज़ारीबाग़ की अदालत में लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद**,** यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहिर@परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में जो (**2017) 9** एससीसी **641** में रिपोर्ट की गई**,** अन्य बातों के अलावा**,** पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला। और पैराग्राफ संख्या **11** में निम्नानुसार तय किया गया है: -

> *"**11.** धारा **482** एक सर्वोपरि प्रावधान के साथ प्रस्तुत की गई है। यह क़ानून एक वरिष्ठ न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, यह ऐसे आदेश देगा जो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो; या **(ii)** न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हों । ज्ञान सिंह सिंह [ज्ञान सिंह सिंह बनाम पंजाब राज्य, **(2012) 10** एससीसी**303:(2012)4**एससीसी(सिव)**1188:(2013)1**एससीसी(सीआरआई)**160:***
>
> ***(2012) 2** एससीसी (एल एंड एस) **988]** में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस विषय पर मिसाल कायम की और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि एफआईआर या शिकायत को रद्द करना है या नहीं। अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जिन विचारों पर उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए वे हैं: (एससीसी पृष्ठ **342-43,** पैरा **61)***
>
> > *"**61. ...** अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने की शक्ति उच्च न्यायालय की संहिता की धारा **320** के तहत अपराधों को कम करने के लिए एक आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग है। अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए: **(i)** न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए, या **(ii)** किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। इन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि*

जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करता है। लेकिन अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक झुकाव वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध आदि या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है जहां पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले के लीक होने और जारी रहने से आरोपी को बड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ उत्पीड़न, पूर्वाग्रह और अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या पीड़ित और पीड़ित के बीच समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा। गलत काम करने वाले के लिए और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का अधिकार क्षेत्र होगा।" (जोर दिया गया)"

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** की धारा **10 (3)** के तहत कथित तौर पर दंडनीय अपराध का सवाल है, इसे सही प्रासंगिक के बजाय गलत तरीके से उल्लेख किया गया है। धारा **3** के तहत दंडनीय प्रावधान **(1) (x)** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध शामिल है । यह मामला पार्टियों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौता होने के कारण**,** याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और आपराधिक मामले को न रद्द करने पर उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए**,** इस न्यायालय का मानना है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां बड़कागांव थाना की पूरी आपराधिक कार्यवाही पूरी हो गई है। यह **2018** का केस

नंबर **21** जी.आर. से संबंधित है। **2018** की संख्या **546** भारतीय दंड संहिता की धारा **341, 342, 323, 34** के साथ- साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** की धारा **10 (3)** के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत है**,** जो अब विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/) की अदालत में लंबित है। एसटी एक्ट**,** हज़ारीबाग़**,** जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी**,** को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार**,** बड़कागांव थाना की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही **2018** का केस नंबर **21** जी.आर. से संबंधित है। यह **2018** की संख्या **546** भारतीय दंड संहिता की धारा **341, 342, 323, 34** के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम**, 1989** की धारा **10 (3)** के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है। अब विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम)**,** हज़ारीबाग़ की अदालत में लंबित मामले को याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ रद्द कर दिया गया है।

10. परिणाम में इस अपराधिक विविध याचिका अनुमति दी गयी है।

11. त्वरित अपाराधिक विविध याचिका के निस्तारण के दृष्टिगत **2023** का आई.ए.नं. **11505** कायम है।

तदनुसार निस्तारण किया गया।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 05 फरवरी, 2024
AFR/अनिमेष